रजिस्टर्ड

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18882/पुनर्भरण/14–15/10 दिनांकः– 10-3-15

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
....

विषयः–आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को सत्र 2014–15 की प्रथम किस्त का पुनर्भरण 31.03.2015 से पूर्व करवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत जैसा कि पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है कि सत्र 2014–15 की प्रथम किस्त का बजट संबंधित BEEO/DEO(Ele)/DEO(Sec) द्वारा आरटीई वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन डिमाण्ड के आधार पर प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के बजट अनुभाग द्वारा ऑनलाईन बजट आवंटित किया जा रहा है। सत्र 2014–15 की प्रथम किस्त का ऐसे समस्त गैर सरकारी विद्यालय जिनके क्लेम बिल की हार्ड प्रति कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है उनके संबंध में बजट डिमाण्ड जनरेट कर बजट राशि आवंटित करवाते हुए संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में दिनांक 31.03.2015 से पूर्व पुनर्भरण राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

सत्र 2013–14 की प्रथम या द्वितीय किस्त के पुनर्भरण हेतु आप द्वारा की गई मांग के आधार पर जारी अतिरिक्त बजट राशि के अनुसार सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालयों को उक्त पुनर्भरण राशि का भुगतान भी 31.03.15 से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में विलम्ब के कारण 31.03.15 को बजट लैप्स होने की स्थिति में यदि पुनर्भरण नहीं हो पाता है तो इसके लिए संबंधित BEEO/DEO(Ele)/DEO(Sec) का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

अतः अपने अधीनस्थ समस्त गैर सरकारी विद्यालयों जिन्होंने आरटीई पोर्टल पर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपलोड कर लॉक कर दी है, उनके क्लेम बिल जनरेट करवाकर हार्ड प्रति कार्यालय में मंगवाया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी बजट राशि में से संबंधित कार्यालय द्वारा भुगतान आदेश (पास ऑर्डर) जारी कर पुनर्भरण की राशि संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों के खातों में अंतरित किया जाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में पुर्नभरण कार्य माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में सम्मिलित है।

ऐसे प्रा/उ.प्रा./मा./उ.मा गैर सरकारी विद्यालय जिन्होंने अभी तक क्लेम बिल की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की है उन्हें निर्देशित करें कि वे दिनांक 20.03.2015 तक क्लेम बिल की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालय में प्रेषित करें। गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा कार्यालय में समयावधि में क्लेम बिल प्रेषित नहीं किए जाने की स्थिति में ऐसे गैर सरकारी विद्यालय पुनर्भरण से वंचित रहने की स्थिति में उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही करें तथा निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का शिक्षण निर्बाध रूप से चलें इसको भी सुनिश्चित किया जावे।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
3. आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् शिक्षा संकुल, जयपुर
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस संबंध में आपके अधीनस्थ समस्त जि.शि.अ. माध्यमिक शिक्षा से उक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयावधि में करवाने का श्रम करावें। आरटीई पोर्टल से दिनांक 10.03.2015 को डाउनलोड रिपोर्ट के अनुसार जि.शि.अ. माध्यमिक शिक्षा श्रीगंगानगर ने सत्र 2014–15 की प्रथम किस्त का पुनर्भरण कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया है अतः जि.शि.अ मा.शि श्रीगंगानगर को निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें कि वे तत्काल पुनर्भरण कार्य प्रारम्भ करें।
5. समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा.................................को भेजकर लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा प्रभावी मोनिटरिंग करते हुए संबंधित जिलों में पुनर्भरण कार्य दिनांक 31.03.2015 से पूर्व करवाया जाना सुनिश्चित करें। कार्य में शिथिलता बरतने वाले संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

10/3/15

उप निदेशक (आरटीई)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर